

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2022 — चैत्र 16, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-6/2017/38-2. - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 836/पी.यू.-08/एस.एण्ड ओ./2017/16600, दिनांक 14-02-2022 द्वारा आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-नवापारा (कोसमी), ब्लॉक एवं तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 64 से 68, संशोधित परिनियम क्रमांक 12 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 3, 4, 23, 24 एवं 27 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत किया गया है.

- राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों एवं परिनियम को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
- उपरोक्त अध्यादेश एवं परिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, कोसमी, गरियाबंद**अध्यादेश-64****बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT)**

- 64.1 भूमिका** : यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के रूप में जाना जायेगा जिसका संक्षिप्त नाम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT) होगा।
- 64.2 शीर्षक** : बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT)
- 64.3 संकाय** : फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड अलाइड साइंसेस/पैरामेडिकल/नर्सिंग।
- 64.4 अवधि** : चार वर्ष (अथवा 8 सेमेस्टर) तथा 6 माह का इंटरशिप।
- 64.5 पात्रता** : छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 वीं भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी एवं बायोलॉजी के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण।
- 64.6 सीटें** : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात प्रबंध मंडल द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
- 64.7 प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
- 64.8 शैक्षणिक वर्ष** : सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक सत्र होगा।
- 64.9 चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है, वे भी अस्थाई प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिए प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा ऐसा करने में असफल होने पर दिया गया अनन्तिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:-

1. आवेदन पत्र अपूर्ण हो।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिए अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गयी हो। -

सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन व निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात नव प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 64.10 शुल्क : प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।
- 64.11 परीक्षा योजना : विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 64.12 पाठ्यक्रम संरचना : अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 64.13 सामान्य : शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एवं अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, कोसमी, गरियाबंद
अध्यादेश-65

बैचलर ऑफ आर्ट्स (आनर्स), बी.ए. (आनर्स)

- 65.1 भूमिका** : यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ आर्ट्स (आनर्स), बी.ए. (आनर्स) के रूप में जाना जायेगा जिसका संक्षिप्त नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स (आनर्स), बी.ए. (आनर्स) होगा।
- 65.2 शीर्षक** : बैचलर ऑफ आर्ट्स (आनर्स), बी.ए. (आनर्स)।
(अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन, इतिहास एवं पुरातत्व, राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन, अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, रक्षा अध्ययन, गृह विज्ञान, छत्तीसगढ़ी, शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता एवं जन संचार आदि परिनियम 12 में सम्मिलित है।)
- 65.3 संकाय** : फैकल्टी ऑफ आर्ट्स/ह्यूमनीटीज़/सोशल साइंस।
- 65.4 अवधि** : तीन वर्ष (अथवा 6 सेमेस्टर)
- 65.5 पात्रता** : छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 वीं उत्तीर्ण।
- 65.6 सीटें** : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात प्रबंध मंडल द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
- 65.7 प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
- 65.8 शैक्षणिक वर्ष** : सामान्यतः जुलाई से जून तक का एक शैक्षणिक सत्र होगा।
- 65.9 चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन हैं, वे भी अस्थाई प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिए प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा ऐसा करने में असफल होने पर दिया गया अनन्तिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्ही कारणों से निरस्त किया जा सकता है:-

1. आवेदन पत्र अपूर्ण हो।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया हो।

3. प्रवेश के लिए अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गयी हो।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन व निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात नव प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 65.10 शुल्क** : प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।
- 65.11 परीक्षा योजना** : विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 65.12 पाठ्यक्रम संरचना** : अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 65.13 सामान्य** : शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एवं अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात् कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, कोसमी, गरियाबंद**अध्यादेश-66****विज्ञान में स्नातक (आनर्स), बी.एस.सी. (आनर्स)**

- 66.1 भूमिका** : यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के विज्ञान में स्नातक (आनर्स), बी.एस.सी. (आनर्स) के रूप में जाना जायेगा। जिसका संक्षिप्त नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स (आनर्स), बी.ए. (आनर्स) होगा।
- 66.2 शीर्षक** : विज्ञान में स्नातक (आनर्स), बी.एस.सी. (आनर्स)।
(भौतिकी, रसायन, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, क्रीमीनोलॉजी एण्ड फॉरेंसिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, एन्थ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, हर्बल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक एण्ड वाइल्ड लाइफ, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी जो परिनियम 12 में हो।)
- 66.3 संकाय** : फैकल्टी ऑफ साइंस।
- 66.4 अवधि** : तीन वर्ष (अथवा 6 सेमेस्टर)।
- 66.5 पात्रता** : छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 वीं उत्तीर्ण जिसमें से विज्ञान कक्षा बारहवीं में एक मुख्य विषय के रूप में हो।
- 66.6 सीटें** : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात प्रबंध मंडल द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
- 66.7 प्रवेश प्रक्रिया** : अध्यादेश क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
- 66.8 शैक्षणिक वर्ष** : सामान्यतः जुलाई से जून तक का एक शैक्षणिक सत्र होगा।
- 66.9 चयन प्रक्रिया** : विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन हैं, वे भी अस्थाई प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिए प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर दिया गया अनन्तिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्ही कारणों से निरस्त किया जा सकता है:-

1. आवेदन पत्र अपूर्ण हो।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिए अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गयी हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन व निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात् नव प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 66.10 शुल्क** : प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।
- 66.11 परीक्षा योजना** : विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 66.12 पाठ्यक्रम संरचना** : अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 66.13 सामान्य** : शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एवं अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात् कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, कोसमी, गरियाबंद**अध्यादेश-67****मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.)**

- 67.1 भूमिका :** यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) के रूप में जाना जायेगा। जिसका संक्षिप्त नाम मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.) होगा।
- 67.2 शीर्षक :** मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.)।
(इस एम. टेक. में कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, खनन, धातु शामिल होंगे।)
- 67.3 संकाय :** फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/आर्किटेक्चर/ डिज़ाइन।
- 67.4 अवधि :** दो वर्ष (अथवा 4 सेमेस्टर)।
- 67.5 पात्रता :** (1) चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) का बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी या समकक्ष।
या
(2) कोई भी योग्यता जो विनियामक अधिकरण द्वारा निर्देशित हो।
- 67.6 सीटें :** बुनियादी इकाई 30 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात प्रबंध मंडल द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
- 67.7 प्रवेश प्रक्रिया :** अध्यादेश क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार या गेट के वैध स्कोरकार्ड के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
- 67.8 शैक्षणिक वर्ष :** सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक सत्र होगा।
- 67.9 चयन प्रक्रिया :** विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।
अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन हैं, वे भी अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिए प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर दिया गया अनन्तिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:-

1. आवेदन पत्र अपूर्ण हो।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिए अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गयी हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन व निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात नव प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 67.10 शुल्क : प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।
- 67.11 परीक्षा योजना : विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 67.12 पाठ्यक्रम संरचना : अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 67.13 सामान्य : शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एवं अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, कोसमी, गरियाबंद**अध्यादेश-68****डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी (डी.एच.एम.सी.टी.)**

- 68.1 भूमिका :** यह अध्यादेश आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जायेगा। जिसका संक्षिप्त नाम डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी (डी.एच.एम.सी.टी.)
- 68.2 शीर्षक :** डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी (डी.एच.एम.सी.टी.)।
- 68.3 संकाय :** फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट।
- 68.4 अवधि :** तीन वर्ष (अथवा 6 सेमेस्टर)।
- 68.5 पात्रता :** छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 वीं उत्तीर्ण अथवा AICTE द्वारा निर्धारित योग्यता।
- 68.6 सीटें :** बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पश्चात प्रबंध मंडल द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
- 68.7 प्रवेश प्रक्रिया :** अध्यादेश क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
- 68.8 शैक्षणिक वर्ष :** सामान्यतः जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक सत्र होगा।
- 68.9 चयन प्रक्रिया :** विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के पूर्व समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय के वेबसाईट तथा अन्य प्रचार माध्यम में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन हैं, वे भी अस्थाई प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिए प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा ऐसा करने में असफल होने पर दिया गया अनन्तिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:-

1. आवेदन पत्र अपूर्ण हो।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया हो।
3. प्रवेश के लिए अपेक्षित समर्थित दस्तावेज़ संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गयी हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन व निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात नव प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 68.10 बुल्क : प्रबंध मण्डल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर, द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।
- 68.11 परीक्षा योजना : विश्वविद्यालय के परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 68.12 पाठ्यक्रम संरचना : अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 68.13 सामान्य : शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर एवं अध्यादेश में आवश्यक संशोधन पश्चात कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

परिनियम क्रमांक-12 में संशोधन

परिनियम क्रमांक 12 'तालिका' में निम्नलिखित संशोधन किया जाए-

1. परिनियम क्रमांक 12 की तालिका में कालम क्रमांक 1 के खण्ड 1 कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान संकाय में कॉलम क्रमांक 2 से सरल क्रमांक-12.1.16 "पत्रकारिता एवं जनसंचार", के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-

12.1.17	मानव अधिकार।
12.1.18	पब्लिक हेल्थ।
12.1.19	आपदा प्रबंधन।
12.1.20	पब्लिक रिलेशन एण्ड इवेंट मैनेजमेंट।
12.1.21	फिल्म मेकिंग एण्ड एडवरटाइजिंग।
12.1.22	योगा।

2. परिनियम क्रमांक 12 की तालिका में कालम क्रमांक 1 के खण्ड 3 विज्ञान संकाय में कॉलम क्रमांक 2 में सरल क्रमांक-12.3.19 "कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना तकनीकी", के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-

12.3.20	सेरीकल्चर।
12.3.21	पर्यावरण जीव विज्ञान।
12.3.22	औद्योगिकी रसायन।
12.3.23	डेटा विज्ञान।
12.3.24	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा।
12.3.25	पोषण और आहार।

3. परिनियम क्रमांक 12 की तालिका में कालम क्रमांक 1 के खण्ड 4 इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/डिजाइन के संकाय में कॉलम क्रमांक 2 में सरल क्रमांक- 12.4.11 "डिजाइन", के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-

12.4.12	ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग।
---------	------------------------

4. परिनियम क्रमांक 12 की तालिका में कालम क्रमांक 1 के खण्ड 6 वाणिज्य/व्यवसाय/प्रशासन/प्रबंधन/वित्त संकाय में कॉलम क्रमांक 2 में सरल क्रमांक- 12.6.5 "हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन", के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-

12.6.6	डिजिटल मार्केटिंग।
12.6.7	कॉर्पोरेट सोशल रिसर्पोन्सबिलिटी एण्ड ससटेनबिलिटी।

5. परिनियम क्रमांक 12 की तालिका में कालम क्रमांक 1 के खण्ड 8 स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान के संकाय पैरामेडिकल/नर्सिंग के संकाय में कॉलम क्रमांक 2 में सरल क्रमांक- 12.8.5 "फार्मेसी", के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-

12.8.6	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा।
12.8.7	पोषण।

6. परिनियम क्रमांक 12 की तालिका में कालम क्रमांक 1 के खण्ड 11 ललित कला संकाय/कला प्रदर्शन/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला संकाय में कॉलम क्रमांक 2 में सरल क्रमांक- 12.11.3 "संगीत और नृत्य", के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किये जाए अर्थात्-

12.11.4	दृश्य प्रभाव (VFX)
12.11.5	एनीमेशन।

अध्यादेश क्रमांक-3 “कला में स्नातकोत्तर (एम.ए.)” में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक-3, “कला में स्नातकोत्तर (एम.ए.)” में निम्नानुसार संशोधित किया जाए-

1. 3.11 में क्रम संख्या 14, “छत्तीसगढ़ी भाषा”, के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-

15. मानवअधिकार।
16. पब्लिक हेल्थ।
17. आपदा प्रबंधन।
18. पब्लिक रिलेशन एण्ड इवेंट मैनेजमेंट।
19. फिल्म मेकिंग एण्ड एडवरटाइजिंग।
20. योगा।

और यह अध्यादेश “संशोधित अध्यादेश- 3” के नाम से जाना जायेगा।

अध्यादेश क्रमांक-4 “कला में स्नातक (बी.ए.)” में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक-4, “कला में स्नातक (बी.ए.)” में निम्नानुसार संशोधित किया जाए-

1. 4.11 में क्रम संख्या 14 “छत्तीसगढ़ी भाषा”, के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-

15. शिक्षा।
16. पत्रकारिता एवं जनसंचार।
17. मानवअधिकार।
18. पब्लिक हेल्थ।
19. आपदा प्रबंधन।
20. इवेंट मैनेजमेंट।
21. फिल्म मेकिंग एण्ड एडवरटाइजिंग।
22. योगा।

और यह अध्यादेश “संशोधित अध्यादेश-4” के नाम से जाना जायेगा।

अध्यादेश क्रमांक-23 “विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एस.सी.)” में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक-23, “विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एस.सी.)” में निम्नानुसार संशोधित किया जाए-

1. 23.11 में क्रम संख्या 16, “कम्प्यूटर विज्ञान और इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी” के पश्चात निम्नलिखित, अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-
 17. सांख्यिकीय ।
 18. सेरी कल्चर ।
 19. पर्यावरण जीव विज्ञान ।
 20. औद्योगिक रसायन ।
 21. डेटा विज्ञान ।
 22. योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा ।
 23. पोषण और आहार ।

और यह अध्यादेश “संशोधित अध्यादेश-23” के नाम से जाना जावेगा ।

अध्यादेश क्रमांक-24 “विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)” में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक-24, “विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)” में निम्नानुसार संशोधित किया जाए-

1. 24.10 में क्रम संख्या 20, “रसायन, गणित एवं सांख्यिकीय”, के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्-
 21. सैन्य इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा अर्थशास्त्र ।
 22. मत्स्य जीव विज्ञान और संसाधन प्रबंधन, मत्स्य रोग विज्ञान और शूक्ष्म जीव विज्ञान, मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी ।
 23. रेशम कीट की खेती और अनाज, बीज प्रौद्योगिकी, रेशम कीट और पौधो के कीट और रोग ।
 24. पर्यावरण योजना, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता ।
 25. रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, औद्योगिकी रसायन विज्ञान ।
 26. रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, डेटा विज्ञान ।
 27. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, पुनर्वास तकनीक, योग चिकित्सा ।
 28. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, भोजन का रसायन, खाद्य संरक्षण ।

और यह अध्यादेश “संशोधित अध्यादेश-24” के नाम से जाना जावेगा ।

अध्यादेश क्रमांक-27 “कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)” में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक-27 “कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)” में निम्नानुसार संशोधित किया जाए-

1. अध्यादेश क्रमांक- 27 में क्रम संख्या 27.3, “अवधि”, में निम्नलिखित अंतःस्थापित कर संशोधन किया जाए अर्थात्-

27.3 अवधि: दो वर्ष (या चार सेमेस्टर) या ए.आई.सी.टी.ई./अन्य सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अवधि।

और यह अध्यादेश ‘संशोधित अध्यादेश -27’ के नाम से जाना जावेगा।

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2022

क्रमांक एफ 3-6/2017/38-2. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2022

NOTIFICATION

No. F 3-6/2017/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 836/PU-08/S & O/2017/16600, Dated 14-02-2022 has approved the Subsequent Ordinance No. 59 to 63, the amendment of Statute No. 12 and the amendments of Ordinance No. 3, 4, 23, 24 and 27 of ISBM University, Village-Nawapara (Kosmi), Block & Tehsil-Chhura, District-Gariyaband Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances and Statute in Official Gazette.
3. The above Ordinances and Statute shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

ISBM UNIVERSITY, KOSMI, GARIYABAND**ORDINANCE-64****BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (BPT)**

- 64.1 Introduction** : This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Bachelor of Physiotherapy abbreviated as BPT
- 64.2 Title** : Bachelor of Physiotherapy (BPT)
- 64.3 Faculty** : Faculty of Health and Allied Sciences/Paramedical/Nursing
- 64.4 Duration** : Four Years (or eight semesters) plus 6 months internship
- 64.5 Eligibility** : Must have passed 10+2/Higher Secondary Examination of Chhattisgarh Board of Secondary Education or any Board of Secondary Education as equivalent with Physics, Chemistry, English and Biology with a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology.
- 64.6 Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management on permission of Authorizing Body.
- 64.7 Admission Procedure:** As Specified in Ordinance 1. Admission Shall be granted on the basis of Merit/Entrance examination. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to. Norms of the Concerned Statutory Regulatory body shall be adhered to, in the matter of admission and eligibility etc.
- 64.8 Academic Year** : The academic session normally will be from July to June every year.
- 64.9 Selection Procedure** : The University will issue admission notification in news papers on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the commencement of admission. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply for provisional admission however such candidates must produce the Mark sheet of qualifying examination, as a proof for meeting the eligibility criteria before the cut off date failing which, the provisional admission if granted shall be cancelled.

The dmission may be rejected due to anyone or more of the following reasons:-

1. The application form is incomplete in anyway.
2. The fees is not paid by the due date.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fee.

- 64.10 Fees** : The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.
- 64.11 Examination Scheme:** The University Examination Ordinance 2, unless provided Otherwise.
- 64.12 Course Structure** : As framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.
- 64.13 General** : In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ISBM UNIVERSITY, KOSMI, GARIYABAND**ORDINANCE-65****BACHELOR OF ARTS (Hons) -B.A. (Hons)**

- 65.1 Introduction** : This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Bachelor of Arts (Hons)- abbreviated as B.A. (Hons)
- 65.2 Title** : Bachelor of Arts (Hons)-B.A.(Hons)
(English, Hindi, Marathi, Comparative Religion & Philosophy, History & Archaeology, Political Science & Public Administration, Economics, Sociology, Sanskrit, Geography, Psychology, Defense Studies, Home Science, Chhattisgarhi, Education, Journalism & Mass Communication as subjects mentioned in Statute 12)
- 65.3 Faculty** : Arts/Humanities/Social Science
- 65.4 Duration** : Three Years (or six semesters)
- 65.5 Eligibility** : Must have passed 10+2/Higher Secondary Examination of Chhattisgarh board of Secondary Education or any Board of Secondary Education as equivalent thereto in any discipline.
- 65.6 Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management on permission of Authorizing Body.
- 65.7 Admission Procedure:** As Specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit/Entrance examination. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to.
- 65.8 Academic Year** : The academic session normally will be from July to June every year.
- 65.9 Selection Procedure** : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the commencement of admission. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply for provisional admission however such candidates must produce the Mark sheet of qualifying examination, as a proof for meeting the eligibility criteria before the cut off date failing which, the provisional admission if granted shall be cancelled.

The admission may be rejected due to anyone or more of the following reasons:-

1. The application form is incomplete in anyway.
2. The fees is not paid by the due date.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fee.

- 65.10 Fees** : The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.
- 65.11 Examination Scheme:** The University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.
- 65.12 Course Structure** : As framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.
- 65.13 General** : In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ISBM UNIVERSITY, KOSMI, GARIYABAND**ORDINANCE-66****BACHELOR OF SCIENCE (Hons) B.Sc. (Hons)**

- 66.1 Introduction** : This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance for Bachelor of Science (Hons)- abbreviated as B.Sc. (Hons)
- 66.2 Title** : Bachelor of Science (Hons) -B.Sc. (Hons) in-
(Physics, Chemistry, Mathematics, Geology, Statistics, Criminology & Forensic Science, Electronics, Botany, Fashion Design, Interior Design, Zoology, Bio-Chemistry, Life Science, Anthropology, Microbiology, Biotechnology, Herbal Science & Technology, Forestry & Wild Life, Computer Science & Information Technology as mentioned in Statute 12)
- 66.3 Faculty** : Faculty of Sciences
- 66.4 Duration** : Three Years (or six semesters)
- 66.5 Eligibility** : Must have passed 10+2/Higher Secondary Examination of Chhattisgarh Board of Secondary Education or any Board of Secondary Education as equivalent thereto with Science subjects.
- 66.6 Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 66.7 Admission Procedure:** As Specified in Ordinance 1. Admission Shall be granted on the basis of Merit/Entrance examination. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government shall be adhered to.
- 66.8 Academic Year** : The academic session normally will be from July to June every year.
- 66.9 Selection Procedure** : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the commencement of admission. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply for provisional admission however such candidates must produce the Mark sheet of qualifying examination, as a proof for meeting the eligibility criteria before the cut off date failing which, the provisional admission if granted shall be cancelled.

The admission may be rejected due to anyone or more of the following reasons:-

1. The application form is incomplete in anyway.
2. The fees is not paid by the due date.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is provided in the application form.

Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fee.

- 66.10 Fees** : The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.
- 66.11 Examination Scheme:** The University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.
- 66.12 Course Structure** : As framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.
- 66.13 General** : In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination which shall be in conformity with the directives given by the concerned Statutory Regulatory body.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ISBM UNIVERSITY, KOSMI, GARIYABAND**ORDINANCE-67****MASTER OF TECHNOLOGY (M. Tech.)**

- 67.1 Introduction** : This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance of Technology in Computer Science & Engineering, Electronics & Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, Biotechnology, Mining, Metallurgy. Abbreviated as M.Tech.
- 67.2 Title** : Master of Technology (M. Tech.)
- 67.3 Faculty** : Faculty of Engineering/Technology/Architecture Design.
- 67.4 Duration** : Two Years (or four semesters) of as prescribed by Regulatory Authority (AICTE)
- 67.5 Eligibility** : (i) Four years (eight semesters) Bachelor's degree in Engineering/Technology in concerned/allied discipline or equivalent thereto
Or
(ii) Any qualification prescribed by the Regulatory Authority.
- 67.6 Seats** : The Basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management on permission of Authorizing Body.
- 67.7 Admission Procedure:** As Specified in Ordinance 1. Admission shall be granted on the basis of Merit/Entrance examination and / or a valid GATE Score. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government Shall be adhered to. The University shall strict adhere to the AICTE norms with matter of admission, eligibility.
- 67.8 Academic Year** : The academic session generally will be from July to June every year.
- 67.9 Selection Procedure** : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the commencement of admission. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply for provisional admission- however such candidates must produce the Mark sheet of qualifying examination, as a proof for meeting the eligibility criteria before the cut off date failing which, the provisional admission if granted shall be cancelled.

The admission may be rejected due to anyone or more of the following reasons:-

1. The application form is incomplete in anyway.
2. The fees is not paid by the due date.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is provided in the application form. Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fee.

67.10 Fees : The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

67.11 Examination Scheme: The University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

67.12 Course Structure : As framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.

67.13 General : In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ISBM UNIVERSITY, KOSMI, GARIYABAND**ORDINANCE-68****DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY****(DHMCT)**

- 68.1 Introduction** : This Ordinance shall be known as ISBM University Ordinance For Diploma in Hotel Management and Catering Technology abbreviated as DHMCT.
- 68.2 Title** : Diploma in Hotel Management and Catering Technology abbreviated as DHMCT.
- 68.3 Faculty** : Faculty of Hotel Management and Hospitality.
- 68.4 Duration** : Three Years (or six semesters)
- 68.5 Eligibility** : (As specified in Ordinance 1) Examination with 10+2 Examination from recognized board of secondary Education or Eligibility as prescribed by the AICTE. Reservation policy of the Chhattisgarh State Government Shall be adhered to. Provisions of Guidelines for admission issued by the Higher Education Department of Chhattisgarh Government will be followed.
- 68.6 Seats** : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management on permission of Authorizing Body.
- 68.7 Admission Procedure:** As Specified in Ordinance 1. Admission Shall be granted on the basis of Merit/Entrance examination and / Reservation policy of the Chhattisgarh State Government Shall be adhered to.
- 68.8 Academic Year** : The academic session generally will be from July to June every year.
- 68.9 Selection Procedure** : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University, University website and in other publicity media before the commencement of admission. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the University's selected candidates' list. The candidates whose results are awaited can also apply for provisional admission however such candidates must produce the Mark sheet of qualifying examination, as a proof for meeting the eligibility criteria before the cut off date failing which, the provisional admission if granted shall be cancelled.

The admission may be rejected due to anyone or more of the following reasons:-

1. The application form is incomplete in anyway.
2. The fees is not paid by the due date.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is provided in the application form. Registration number will be assigned to the newly enrolled student by the University after verification and submission of all the necessary documents and upon payment of requisite fee.

68.10 Fees : The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

68.11 Examination Scheme: The University Examination Ordinance 2, unless provided otherwise.

68.12 Course Structure : As framed by the respective Board of Studies and approved by the Academic Council.

68.13 General : In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

AMENDMENT IN STATUTE-12

In Statute no.12 following amendment shall be added as given bellow:

1. In column no.1, of Part 1 f Statute no.12, in the Faculty of Arts/Humanities/Social Science following shall be added after Serial no.12.1.16 “Journalism and Mass Communication”, namely-

12.1.17	Human Rights
12.1.18	Public Health
12.1.19	Disaster Management
12.1.20	Public Relation & Event Management
12.1.21	Film Making and Advetising
12.1.22	Yoga

2. In column no.1, of Part 3 of Statute no.12, in the Faculty of Sciences following shall be added after Serial no. 12.3.19 “Computer Science and Information Technology”, namely-

12.3.20	Sericulture
12.3.21	Environmental Biology
12.3.22	Industrial Chemistry
12.3.23	Data Science
12.3.24	Yoga & Naturopathy
12.3.25	Nutrition & Dietetics

3. In column no. 1 of part 4 of Statute no.12, in the Faculty of Engineering/Technology/Architecture/Design following shall be added after Serial no. 12.4.11 “Design” namely-

12.4.12	Automobile Engineering
---------	------------------------

4. In column no. 1, of part 6 of the Statute no. 12, in the Faculty of Commerce/ Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance following shall be added after serial no. 12.6.5 “Hospital Administration”, namely-

12.6.6	Digital Marketing
12.6.7	Corporate Social Responsibility & Sustainability.

5. In column no. 1, of part 8 of Statute no. 12, in the Faculty of Health and Allied Science/Paramedical/Nursing following shall be added after serial no. 12.8.5 "Pharmacy", namely-

12.8.6 Yoga & Naturopathy

12.8.7 Nutrition

6. In column no. 1, of part 11 of the Statute No. 12, in the Faculty of fine Arts/Performing Arts/Visual Arts/Applied Arts following shall be added after serial no. 12.11.3 "Music and Dance", namely-

12.11.4 Visual Effects (VFX)

12.11.5 Animation

AMEMDMENT IN ORDINANCE NO.- 3 “MASTER OF ARTS (M.A.)”

In Ordinance no.-3 “Master of Arts (M.A.)” shall be amended as following:-

1. In para (XI) of the ordinance no.-3 “Master of Arts (M.A.)” following shall be added after no.-14, “Chhattisgarhi”, namely –
 15. Education
 16. Journalism and Mass Communication
 17. Human Rights
 18. Public Health
 19. Disaster Management
 20. Public Relation & Event Management
 21. Film Making and Advertising
 22. Yoga

And the ordinance shall be nomenclature as “Revised Ordinance-3”

AMEMDMENT IN ORDINANCE NO.- 4 “BACHELOR OF ARTS (B.A.)”

In Ordinance no.-4 “Bachelor of Arts (B.A.)” shall be amended as following:-

1. In para (XI) of the ordinance no.-4 “Bachelor of Arts (B.A.)” following shall be added after no.-14, “Chhattisgarhi”, namely –
 15. Education
 16. Journalism and Mass Communication
 17. Human Rights
 18. Puplic Health
 19. Disaster Management
 20. Public Relation & Event Management
 21. Film Making and Advertising
 22. Yoga

And the ordinance shall be nomenclature as “Revised Ordinance-4”

AMENDMENT IN ORDINANCE NO.-23 “MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)”

In Ordinance no.-23 “Master of Science (M.Sc.)” shall be amended as following:-

1. In para (XI) of the ordinance no.- 23 “Master of Science (M.Sc.)” following shall be added after no.- 16, “Computer Science & Information Technology”, namely –
 17. Statistics
 18. Sericulture
 19. Environmental Biology
 20. Industrial Chemistry
 21. Data Science
 22. Yoga & Naturopathy
 23. Nutrition & Dietetics

And the ordinance shall be nomenclature as “Revised Ordinance- 23”

AMENDMENT IN ORDINANCE NO.-24 “BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.)”

In Ordinance no.-24 “Bachelor of Science (B.Sc.)” shall be amended as following:-

1. In para (X) of the ordinance no.-24 “Bachelor of Science (B.Sc.)” following shall be added after no.- 20, “Chemistry, Mathematics and Statistics”, namely –
 21. Military History, International Relation, Defense Economics.
 22. Fishery Biology & Resource Management, Fishery Pathology & Microbiology, Fish Processing Technology
 23. Silkworm Farming & Grainage, Seed Technology, Pests & Ailments of Silkworm & Plants
 24. Environmental Planning, Environmental Studies, Ecosystem Dynamics
 25. Chemistry, Botany, Zoology, Industrial Chemistry
 26. Chemistry, Physics, Data Science
 27. Anatomy & Physiology, Rehabilitation Techniques, Yoga Therapy
 28. Anatomy & Physiology, Food Chemistry, Food Preservation

And the ordinance shall be nomenclature as “Revised Ordinance-24”

AMEMDMENT IN ORDINANCE NO.-27

“MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (MCA)”

In Ordinance no.-27 “Master of Computer Application (MCA)” shall be amended as following:-

1. In para (iii) of the ordinance no.-27 “Master Of Computer Application (MCA)” following shall be amended in no. (III), “Duration: Three years (or six semesters)”, shall be substituted by—
 - (III) Duration: **Two years (or four semesters) or as per the directive of AICTE/any other concerned regulatory body.**

And the ordinance shall be nomenclature as “Revised Ordinance-27”